राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 233वीं विशेष बैठक–बजट दिनांक 30.01.2017 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	श्री ए॰ मुखोपाध्याय	अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष एवं सदस्य
2.	श्रीमती इन्दिरा	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
3.	श्री अर्जुन राम चौधरी	संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, नविवि, प्रतिनिधि अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार	
4.	श्री अनिल कुमार कौशिक	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल–सचिव

श्री नवीन महाजन, शासन सचिव, वित्त(बजट)विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कारणवश मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी, जिसकी अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक में निम्न मण्डल अधिकारी भी उपस्थित रहे :–

1.	श्री के॰सी॰ मीणा	मुख्य अभियन्ता–प्रथम/मुख्यालय
2.	श्री जी॰एस॰ बाघेला	मुख्य अभियन्ता–द्वितीय
3.	श्रीमती आरती बागोटिया	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

–:: कार्यवाही विवरण ::–

विचार बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
233.1	दिनांक 20.09.2016 को सम्पन्न हुई मण्डल की 232वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि। (कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ दिनांक 29.09.2016 को प्रेषित)	दिनांक 20.09.2016 को सम्पन्न हुई मण्डल की 232वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
233.2	दिनांक 20.09.2016 को सम्पन्न हुई मण्डल की 232वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।	दिनांक 20.09.2016 को सम्पन्न हुई मण्डल की 232वीं बैठक के निर्णयों के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary

233.3	वित्तीय वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान।	वित्तीय वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान का अनुमोदन किया गया।	FA

अन्य महत्वपूर्ण विचार बिन्दु माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :–

विचार बिन्दु 233.4 :–

राजस्थान आवासन मण्डल में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के लिये राजस्थान आवासन मण्डल पेंशन विनियम–1992 के स्थान पर **राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम**–1996 के प्रावधान प्रभावी किये जाने का निर्णय लिया गया।

जहां तक श्री प्रदीप कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त सम्पदा प्रबन्धक (निलम्बित) को प्रोविजनल पेंशन दिये जाने संबंधी प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

विचार बिन्दु 233.5 :–

मुख्य अभियन्ता–मुख्यालय द्वारा निर्माण अनुबन्ध के क्लॉज 23 के अन्तर्गत संवेदक एवं मण्डल के मध्य उत्पन्न विवादों के निपटान हेतु स्थाई समिति के पुनर्गठन का अनुमोदन करते हुये स्थाई समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया :–

क्र.स.	पदनाम	समिति में पद
1.	मुख्य अभियन्ता–मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2.	सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि, जो कि अधीक्षण अभियन्ता स्तर से कम का ना हो।	सदस्य
3.	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि, जो कि वरिष्ठ नगर नियोजक स्तर से कम का ना हो।	सदस्य
4.	संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
5.	वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल अथवा उनके प्रतिनिधि जो उप वित्तीय सलाहकार के स्तर से कम का न हो।	सदस्य
6.	निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल अथवा उनके प्रतिनिधि जो सहायक विधि परामर्शी के स्तर से कम का न हो।	सदस्य
7.	संबंधित उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य सचिव

स्थाई समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अनुबन्ध से संबंधित विवाद हेतु संबंधित आवासीय अभियन्ता उपस्थापक अधिकारी एवं संबंधित वृत्त के सहायक लेखाधिकारी (कार्य) सहायक उपस्थापक अधिकारी होंगे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(अनिल कुमार कौशिक)
सचिव